भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या – 217

सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

केरल के लिए केंद्र प्रायोजित योजनायें

217. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केरल राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में अपने हिस्से को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का अनुरोध किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य ने केंद्र से सीएसएस के कार्यान्वयन और उनके दिशानिर्देश तैयार करने के लिए और अधिक शक्तियां प्रदान करने का भी अनुरोध किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने अवसंरचना परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की भी मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केरल राज्य सरकार के अनुरोध पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): जी हाँ। श्री के.एन. बालगोपाल, वित्त मंत्री, केरल सरकार का दिनांक 27.06.2024 का पत्र वित्त मंत्रालय में प्राप्त हुआ था, जो श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त मंत्री, भारत सरकार को संबोधित है, जिसके साथ दिनांक 22.06.2024 को आयोजित बजट पूर्व परामर्श के दौरान प्रस्तुत किए गए ज्ञापन की एक प्रति संलग्न है, जिसमें केरल राज्य की विभिन्न मांगो का विस्तृत विवरण दिया गया है। इस प्रश्न के भाग (क) से (ग) में किए गए उल्लेख के अनुसार, केरल राज्य सरकार का अनुरोध, दिनांक 22.06.2024 के ज्ञापन की उपरोक्त प्रति के माध्यम से संसूचित केरल राज्य सरकार की विभिन्न मांगो का हिस्सा है।

(घ): जहां तक निधि साझा करने के तरीके का प्रश्न है, यह बताना है कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मौजूदा निधि साझेदारी पैटर्न, दिनांक 17 अगस्त, 2016 के नीति आयोग के कार्यालय ज्ञापन सं. O-11013/02/2015-CSS & CMC के द्वारा निर्देशित है।

उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन, पैरा 6.1 और 6.2 के माध्यम से राज्यों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत घटकों के चयन में लचीलापन भी प्रदान करता है। प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना में उपलब्ध फ्लेक्सी फंड को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया है।

राज्य की विशेष वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्त आयोग अनुदान, उधार सीमा बढ़ाने के उपाय, खुले बाजार से उधार (ओएमबी) की सहायता और राज्यों को विशेष सहायता की योजना के अंतर्गत 50 वर्ष का ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कराए गए हैं। तत्संबंधी विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

- 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा केरल राज्य सरकार को जारी किए गए अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु. में)

		15 वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय की अवधि			
क्रम सं.	**घटक**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
1.	हस्तांतरण उपरांत राजस्व घाटा अनुदान	15322.80	19891.00	13174.00	4749.00
2.	राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि में केंद्र का हिस्सा	314.00	251.20	264.00	277.60
3.	राज्य आपदा उपशमन निधि में केंद्र का हिस्सा	0	62.80	0.00	100.70
4.	शहरी स्थानीय निकाय अनुदान	784.00	336.00	604.00	400.36
5.	ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान	1628.00	1203.00	1246.00	1260.00
6.	स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान	0.00	427.13	94.30	458.03
	कुल जोड़ (1+2+3+4+5+6)	**18048.80**	**22171.13**	**15382.30**	**7245.69**

नोटः- उपरोक्त के अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 (दिनांक 18-07-2024 तक), केरल राज्य सरकार को राज्य आपदा उपशमन निधि के केंद्र के हिस्से के रूप में 34.70 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं।

- केरल राज्य सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए अन्य वित्तीय उपाय इस प्रकार हैं:

वर्ष 2024-25 के लिए

(i) केरल की सामान्य उधारी सीमा (एनबीसी) जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की दर से 37,512 करोड़ रुपए तय की गई है।

(ii) ऋणों के पुनर्भुगतान, अतिरिक्त उधारी, ऑफ-बजट उधारी और पिछले वर्षों की उधारियों के अधिक/कम उपयोग के लिए एनबीसी में समायोजन के बाद केरल की सकल उधारी सीमा 48,171,55 करोड़ रुपए तय की गई है।

(iii) नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत जमा की गई राशि के लिए केरल राज्य सरकार को 1,998.42 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी प्रदान की गई है।

(iv) इसके अलावा, केरल सरकार पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता स्कीम के अंतर्गत 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण के लिए भी पात्र है। इस स्कीम के भाग-I (अनटाइड) के अंतर्गत राज्य को 1,059 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

(v) केरल राज्य सरकार के अनुरोध के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले नौ महीनों के लिए 3,000 करोड़ रुपए की खुला बाजार उधारी (ओएमबी) जुटाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अधीन भारत सरकार की तदर्थ सहमति केरल राज्य सरकार को जारी कर दी गई है।

****